UPUN010016562026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
सत्रवाद संख्या–324 / 2026
सरकार बनाम मनोज आदि

मु0अ0सं0–07 / 2023
धारा–307,323,324,506भा0दं0सं0
थाना–असोहा, जिला उन्नाव।

27.05.2026

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत की गई।

अभियुक्तगण मनोज कुमार पुत्र अयोध्या, हंसराज पुत्र शिवशंकर व नितिन पुत्र स्व0श्रीकृष्ण के द्वारा 6ख प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–227दं0प्र0सं0 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उनके विरूद्ध धारा–307,323,324,506भा0दं0सं0 में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। वादी संदीप कुमार पुत्र भगवती प्रसाद का मेडिकल दिनांक 06.01.2023 समय 04.54बजे शाम को हुआ था, जिसमें चोट नं0–1 साधारण प्रकृति की पायी गयी तथा धारदार हथियार से होना कहा गया, तथा चोटहिल को डेण्टल सर्जन के लिये रेफर किय गया। दिनांक 07.01.2023 को जिला अस्पताल उन्नाव में चोट नं0–1 का एक्स–रे किया गया, जिसमें सिर की चोट में कोई फैक्चर नही पाया गया। सी0डी0 नं0 11 में विवेचक द्वारा धारा–308दं0प्र0सं0 का विलोप किया गया। पूरक चिकित्सीय आख्या में कोई फैक्चर नही पाया गया। सी0डी0 नं0–10 में डा0अरविन्द कुमार द्वारा संदीप कुमार के ऐसी कोई चोट नही थी, जो प्राण घातक हो, चोटे साधारण है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा–323,324,506भा0दं0सं0 का ही अपराध बनता है। उनको धारा 307भा0दं0सं0 के अपराध से उन्मोचित करने की कृपा करें।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि मामले मे अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त धारा–307,323,324,506भा0दं0सं0 का आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। पत्रावली आरोप के स्तर पर लम्बित है। वतर्मान स्तर पर अभियुक्तगण को उन्मोचित करने का सन्तोषजनक आधार नही है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गई।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी संदीप कुमार पुत्र भगौती प्रसाद द्वारा दिनांक 06.01.2023 को थाना असोहा, उन्नाव में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 06.01.2023 समय लगभग 01.30बजे दोपहर मनोज

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.05.30 11:25:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कुमार द्वारा उसकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने उपजिलाधिकारी, पुरवा से की थी। वह उसके पिता मौके पर पहुॅचे, उपजिलाधिकारी के जाने के बाद प्रार्थी व उसके पिता रोड क्रास कर रहे थे, तभी मनोज व उसका सगा भाई व दो अज्ञात लोग स्कार्पियों से आये और धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उसके सिर मे गहरी चोट लगने से वह गिर पडा तब उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते चले गये वह बेहोश हो गया था। घटना दिनांक 06.01.2023 समय 13.30बजे की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मनोज व मनोज का सगा भाई व दो व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध दिनांक 06.01.2023 समय16.52 बजे थाना असोहा पर दर्ज करायी गयी थी। केस डायरी के पर्चा नं0–4/04.02.2023 को वादी/चोटहिल संदीप कुमार अपने बयान धारा 161दं0प्र0सं0 में तहरीर का पूर्णरूपेण समर्थन करते हुए कथन किया गया कि मनोज, नितिन व हंसराज द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सिर मे गहरी चोट लगने से वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चोटहिल संदीप कुमार का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 06.01.2023 को सीएचसी असोहा पर डा0अरविन्द कुमार द्वारा किया गया, जिसमें उसके शरीर पर तीन चोटें पायी गयी, जिनमें चोट नं01 साधारण प्रकृति की, धारदार हथियार की, चोट नं0–2 को एक्स–रे कराने हेतु, चोट नं0–3 मुॅह के दांत हिलने के कारण डेण्टल सर्जन की ओपेनियन हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया। डा0 वी0के0गुप्ता द्वारा चोटहिल का एक्स–रे किया गया, और अपने बयान मे कथन किया गया कि चोटहिल संदीप के कोई फैक्चर होना नही पाय गया। केस डायरी के पर्चा नं0–10/22.03.2023 में डा0अरविन्द कुमार द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि दिनांक 06.01.2023 समय 04.54 पी0एम0 पर उसने संदीप कुमार का चिकित्सीय परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की थी, चोटहिल के सिर पर एक चोट धारदार हथियार की थी, जो साधारण प्रकृति की थी, सीने व दांत में दर्द बता रहा था, जिसके लिये एक्स–रे की सलाह दी गयी, एक्स–रे रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट देखकर उसने सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट तैयार की थी, चोटहिल के साधारण चोटें है। संदीप कुमार के कोई ऐसी चोट नही थी जो प्राणघातक प्रकृति की थी, चोटे साधारण होना पायी गयी। केस डायरी के पर्चा नं0–11/23.03.2023 में विवेचक द्वारा चिकित्सक के बयान के आधार पर धारा 308भा0दं0सं0 का अपराध होना नही पाया गया, धारा–308 भा0दं0सं0 का लोप किया गया। मामले में अग्रिम विवेचना धारा–323,324,506भा0दं0सं0 में की जायेगी। केस डायरी के पर्चा नं0–16/08.06.2023 में पुनः वादी ने पूर्व में किये गये कथनो का समर्थन किया है। उसने यह भी कथन किया कि इन लोगो की नियत उसे जान से मारने की थी। बचाव के कारण उसे बहुत गंभीर चोटें नही आ पायी थी, फिर भी वह सिर मे लगी चोट व खून बहने के कारण कुछ समय के लिये अचेत ओ गया था। ऐसी स्थिति में धारा 307भा0दं0सं0 की वृद्धि की जाती है। चिकित्सक द्वारा

अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया गया कि चोटहिल संदीप कुमार को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। चोटहिल के कोई ऐसी चोट नही थी जो प्राणघातक प्रकृति की थी, चोटे साधारण होना पायी गयी। चोटहिल को आयी चोटों से उसकी मृत्यु होना सम्भव था, ऐसी कोई राय चोटहिल की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक द्वारा व्यक्त नही की गयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–307भा0दं0सं0 का अपराध बनना नही पाया जाता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण मनोज कुमार, हंसराज व नितिन को ध ाारा–307 भा0दं0सं0 के अपराध से उन्मोचित किया जाना न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण मनोज कुमार, हंसराज व नितिन द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 6ख दिनांकित 15.05.2026 उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। अभियुक्तगण मनोज कुमार, हंसराज व नितिन को धारा–307 भा0दं0सं0 के अपराध से उन्मोचित किया जाता है, अन्य धाराओं के विचारण हेतु पत्रावली विधिनुसार निस्तारण हेतु सिविल जज(सी0डि0), एफ0टी0सी0, उन्नाव के न्यायालय को प्रषित की जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को पेश हो। अभियुक्त नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांक–27.05.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड नं0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।